संख्या-319विठनि0/38-3-02-500(19)/2001

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2002

विषय- विधायक निधि से माननीय विधायकों के उपयोगार्थ लैपटाप कम्प्यूटर के क्रय के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-537/विठनि0/38-3-02-500(19)/01, दिनांक 01 दिसम्बर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि माननीय विधायकों द्वारा संलग्नक में उल्लिखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार लैपटाप उपलब्ध कराने का ठेका दर पर मुख्य विकास अधिकारी मै0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को समुचित धनराशि उपलब्ध करायेंगे तथा मा0 विधायकों की मांग के अनुरूप मै0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन कम्पैक/आई0बी0एम0/डेल/तोशीबा कम्पनियों से कोई न्यूनतम दर पर लैपटाप का क्रय कर मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु मै0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को सर्विस चार्ज के रूप में 7 प्रतिशत धनराशि देय होगी ।

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लैपटाप के रख-रखाव का दायित्व मा0 विधायकों का होगा तथा मा0 विधायकों की सदस्यता समाप्त होने पर निम्न व्यवस्था के अनुसार मा0 विधायकगण यदि डेप्रीशियेशन कास्ट पर लैपटाप लेना चाहें तो उतनी धनराशि देकर लैपटाप ले सकते है, अन्यथा उसका समायोजन उनकी पेंशन से कर लिया जाय :-

"The laptop will be depreciated @ 60 % per year on written down value i.e. the depreciated price will become 40 % of the original price during the first year, 16 % during the second year and 6.4 % during the third year."

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

आनन्द प्रकाश उपाध्याय
संयुक्त सचिव ।